

20-4-22 आज पत्रावली पेश हुई।
वादी व वादी के वकील अग्रु परिभूत पत्रावली
में बार - बार अवाज दिलवाई गई। लेकिन
कोई भी उप. नहीं आगे। न ही कोई सूचना
ही प्राप्त हुई। इससे प्रतीत होता है कि
वादी वाद नैलाना ही नहीं चाहते हैं।
अतः वादी का वाद अदम पेशी अदम हाजरी
में रखा जा सकता है। पत्रावली फौसल
शुमार होकर मम्तर से कम हो। वाद
तकमील दाखिल दफतर हो।

५

अध्यापक अधिकारी
दिल्ली (अदम) जज

